



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली / Head quarters, New Delhi
Website: www.kvsangathan.nic.in
Email: jcp.kvs@gmail.com, Tel: 011-26858565

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली / 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi
F.11-Adm1072(BIHR)/92018-Admn.I | 1193-1210 दिनांक: 15.03.2024

कार्यालय आदेश


केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी। केन्द्रीय विद्यालय 205, कोबरा बटालियन, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, बरवाडीह, बाराचट्टी, गया, बिहार, (संसदीय क्षेत्र - गया) उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय 01.04.2024 से प्रारंभ करने के लिए आयुक्त, के.वि.स. की संस्वीकृति दी जाती है :-

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	केन्द्रीय विद्यालय, 205, कोबरा बटालियन, सी.आर.पी.एफ., बाराचट्टी, गया, बिहार	केन्द्रीय विद्यालय, 205, कोबरा बटालियन, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, बरवाडीह, बाराचट्टी, गया, बिहार - 824201

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2024-25 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए।


(सोमिती श्रीवास्तव)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:

- माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.स. के निजी सचिव।
- सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरमैन केविसं. के वरिष्ठ पी.पी.एम.।
- संयुक्त सचिव (संस्थान एवं प्रशिक्षण) शिक्षा मंत्रालय एवं उपाध्यक्ष, केविसं. के वरिष्ठ पी.पी.एम.।
- उप सचिव (के.वि.स.), शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

5. आयुक्त, के.वि.स. के निजी सचिव।
6. अपर आयुक्त (प्रशा./शै०) केविमं के निजी सचिव।
7. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन /शैक्षिक / वित्त), के.वि.स. (मु.) को सूचनार्थ।
8. संयुक्त आयुक्त(प्रशिक्षण०) केविमं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
9. उपायुक्त,के.वि.स. क्षे.का. पटना को इस अनुरोध के साथ कि वे सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क कर के.वि. संचालित करें।
10. महानिदेशालय, सी.आर.पी.एफ., ब्लॉक न. 1, सी.जी.ओ.कम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
11. कमाण्डेंट, 205, कोवरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, वाराचट्टी, गया, बिहार को सूचनार्थ।
12. अधीक्षण अभियंता, के.वि.स. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सचिव, सी.वी.एस.ई. 2, कम्युनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली - 92
14. के.वि.स. (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
15. उपायुक्त/निदेशक, के.वि.स., सभी सम्भागीय कार्यालय तथा आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
16. उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.सं.की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
17. अध्यक्ष/सचिव के.वि.स. मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
18. गार्ड फाइल।